

(1) सिविल अपील क्रमांक: 21 / 15

न्यायालय:- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य)

सिविल अपील क्रमांक: 21 / 2015
संस्थापन दिनांक 03 / 10 / 2015
फाइलिंग नंबर-230303012632015

1. शमशाद स्या पुत्र सरदार स्या आयु 40 वर्ष
जाति मुसलमान निवासी बार्ड नं0-08
तकिया मौहल्ला लुहारपुरा मौ परगना गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

.....वादी / अपीलार्थी

बनाम

1. जर्गोबाई पत्नी रमेश आयु 51 साल
जाति मुसलमान निवासी बार्ड नं0-08
अन्सारी मोहल्ला मौ परगना गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0
2. यूसुफ राईन पुत्र खुदाबक्स आयु 50 वर्ष
जाति मुसलमान निवासी बार्ड नंबर 08
पुरानी सब्जी मण्डी मौ परगना गोहद
जिला भिण्ड
3. पप्पू बरैठा पुत्र सुदामा प्रसाद आयु 50 साल
निवासी बार्ड नंबर 08 मौ परगना गोहद
जिला भिण्ड

प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण

अपीलार्थी / वादी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ।
प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण आर0सी0 यादव अधिवक्ता ।

न्यायालय-कु0 प्रतिष्ठा अवस्थी ,अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, गोहद,
जिला भिण्ड द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक-168ए/2015 ई0दी0 में घोषित
निर्णय दिनांक 11 / 09 / 2015 से उत्पन्न सिविल अपील ।

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक **14 फरवरी 2017** को घोषित किया गया)

1. वादी / अपीलार्थी की ओर से उक्त प्रथम सिविल अपील धारा 96
सी0पी0सी0 के अंतर्गत न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 गोहद कुमारी
प्रतिष्ठा अवस्थी द्वारा सिविल वाद क्रमांक 168ए/2015 ई0दी0 में घोषित निर्णय व

डिक्री दिनांक 11/09/2015 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलार्थी के मूल वाद को अस्वीकार कर खारिज किया है तथा इस निर्णय द्वारा वादी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 के आवेदनपत्र का भी निराकरण किया जा रहा है।

2. प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है, कि ग्राम लुहार पुरा विकासखण्ड गोहद के अंतर्गत ग्राम पंचायत थी, सन् 1981 में नगर पंचायत मौ का गठन होने पर उक्त ग्राम लुहारपुरा नगरपंचायत मौ के क्षेत्र में आकर वार्ड नंबर 08 बना है, और विवादित सम्पत्ति वार्ड नंबर 08 नगर पंचायत मौ के अंतर्गत वर्तमान में है, यह भी निर्विवादित है, कि सरदार स्या की पत्नी महिला वसीलन थी, तथा उसका पुत्र वादी/अपीलार्थी शमशाद के अलावा अटल अली व सत्तर है, यह भी स्वीकृत है, कि ताजिया रखने की जगह को वझेरा कहते हैं और लुहार पुरा में मुस्लिमों की ताजिया कमेटी बनी हुई है, जो फकीर नियुक्त करती है।
3. विचारण न्यायालय में अपीलार्थी/वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार रहा है कि वादी/अपीलार्थी का एक रिहायशी पुश्तैनी मकान वार्ड नंबर 08 वझेरा मौहल्ला लुहारपुरा मौ में स्थित है, जिसके पूर्व में रास्ता इसके बाद रामाबाई का मकान पश्चिम में वादग्रस्त मकान का पछिवाडा तथा ताजिया रखने की खुली जगह है, तथा दक्षिण में रास्ता व बच्ची यादव का मकान है, वादग्रस्त मकान पूर्व में ग्राम आबादी लुहारपुरा में स्थित था, परन्तु वर्तमान मौ नगर पंचायत का गठन होने के कारण ग्राम लुहारपुरा ग्राम पंचायत मौ के क्षेत्र में आने के कारण वादग्रस्त मकान वार्ड क्रमांक 08 में हो गया है, वादग्रस्त मकान पूर्व में पूर्ण रूप से कच्चा था, लगभग बीस वर्ष पूर्व पीछे की तरफ एक पक्का कमरा वादी का बनाया हुआ बना है, उसके बाद छप्पर फिर आंगन एवं टीनशेड पडा है, तथा आम रास्ते की तरफ चबूतरा है, वादी के पिता जीवनपर्यन्त इसी विवादग्रस्त मकान की जगह में निवास करते रहे हैं, वादी का जन्म भी इसी मकान में हुआ है, वादग्रस्त मकान के अलावा वादी के पास नगरपंचायत मौ में अन्य कोई मकान नहीं है, विवादग्रस्त मकान वादी को अपने पिता से प्राप्त हुआ है, जिसमें वादी के नाम का विद्युत मीटर लगा है, वादी के पिता सरदार स्या की मृत्यु के बाद नामांतरण बाबत कार्यवाही वादी ने नगरपंचायत मौ में की थी। वादग्रस्त मकान वादी का पैत्रक मकान है, जिस पर वादी का हर प्रकार से आधिपत्य है, वादग्रस्त मकान से प्रतिवादीगण का कभी कोई संबंध नहीं रहा है। प्रतिवादीगण अपने आपको ताजिया कमेटी मौ का पदाधिकारी बताते हुए, दिनांक 10/06/14 को वादी के मकान पर आए थे, और कहा था कि विवादग्रस्त मकान ताजियों की जगह पर बना है, तथा प्रतिवादीगण ने विवादग्रस्त मकान खाली करने को कहा था। वादी ने प्रतिवादीगण को समझाया था, परन्तु प्रतिवादीगण वादी को जबरन मकान से बेदखल करना चाहते हैं, वादग्रस्त मकान ताजियों की जगह पर नहीं बना है, वादी के एकाकी स्वत्व व आधिपत्य का है, प्रतिवादीगण से उक्त मकान से कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादीगण वादी को जबरन विवादग्रस्त मकान में बेदखल करना चाहते हैं, अतः वाद प्रस्तुत कर वादी ने निवेदन किया था, कि प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त मकान पर वादी के आधिपत्य में कोई बाधा उत्पन्न न करें एवं वादग्रस्त मकान से वादी को बेदखल न करे।

4. प्रकरण में प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण द्वारा जबाबदावा प्रस्तुत करते हुए यह अभिवचन किया है कि वादी का पुश्तैनी मकान वार्ड नंबर-08 पुराना हटवारा मौ में है, जिसका भवन क्रमांक 218 है उक्त भवन को वादी एवं वादी की मां तथा भाई सत्तार खां ने दिनांक 30/05/14 को अटलअली पुत्र सरदार स्या को बिक्रय कर दिया था। वादग्रस्त जगह तजिया रखने की जगह है, जिसमें कई वर्षों से ताजिया रखे जाते रहे हैं, तथा मेला लगता है, वादग्रस्त जगह नगर पंचायत मौ में स्थित है, वादग्रस्त जगह में पूर्व में कच्ची मढैया व चबूतरा था, जिसे ताजिया कमेटी द्वारा पक्का करवाया गया है, एवं वहां पर पक्का कमरा और टीनशेड डलवा दी गई है, तथा ताजियों की समस्त जगह पर चारों तरफ से बाउण्ड्री भी करा दी गई है, वादी द्वारा कमरे का कोई निर्माण नहीं किया गया है। कच्ची मढैया में पूर्व से ही ताजिया कमेटी द्वारा व्यवस्था के लिए एक फकीर को रखा गया था, जो समय समय पर बदल दिया जाता था, वादी के पिता सरदार स्या उक्त मढैया में कभी नहीं रहे हैं, वादी के पिता सरदार स्या का मकान वार्ड क्रमांक 08 पुराना हटवारा में था उसी मकान में वादी का जन्म हुआ है, एवं उक्त मकान को वादी की मां एवं भाई ने बिक्रय कर दिया है। वादग्रस्त ताजिया वाली जगह पर पूर्व में भी कई लोगों ने अतिक्रमण करने की कोशिश की थी, जिसका प्रकरण न्यायालय में संचालित हुआ था, वादी का वादग्रस्त जगह में कोई मकान नहीं है, एवं वादग्रस्त कमरे में वादी का मीटर नहीं है, तथा वादग्रस्त जगह पर वादी का कोई कब्जा भी नहीं है, वादी द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो सव्यय निरस्ती योग्य है।
5. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वादप्रश्नों की रचना करते हुए विचारण करते हुए गुणदोषों पर दिनांक 11/09/15 को घोषित निर्णयानुसार वादी/अपीलार्थी का वाद खारिज किया, जिससे व्यथित होकर उक्त प्रथम सिविल अपील अपीलार्थी/वादी की ओर से पेश की गई है।
6. वादी/अपीलार्थी शमशाद स्या की ओर से प्रस्तुत की गई प्रथम सिविल अपील में मूलतः यह आधार लिया है, कि विवादित मकानियत उसके पिता की होकर पैतृक सम्पत्ति है, जिसमें वह जन्म से निवास करता चला आ रहा है, जिसके संबंध में उसने बिजली का बिल, स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र तथा मौखिक साक्ष्य पेश की थी, जिसका प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है, किंतु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का उचित मूल्यांकन नहीं किया है, और उसका आधिपत्य होते हुए स्थाई निषेधाज्ञा का दावा खारिज कर गंभीर विधिक त्रुटि की है, तथा उसके पास निवास हेतु कोई अन्य मकान नहीं है, प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की ओर से प्र0डी0-01 का जो बिक्रयपत्र पेश किया गया है, जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पुश्तैनी मकान मानकर बिक्रय किया जाना निर्धारित करके भी गंभीर विधिक त्रुटि की है और साक्ष्य का सही रूप से मूल्यांकन नहीं किया है, जबकि विवादित मकानियत पर वादी/अपीलार्थी का कब्जा नहीं माना और उसे अतिक्रामक मानकर गंभीर विधिक त्रुटि की है, क्योंकि स्वीकृत कब्जे के होने पर वैधानिक प्रक्रिया के तहत ही बेदखल किया जा सकता है, बलपूर्वक नहीं किया जा सकता है, जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का विश्लेषण करते समय विचार में नहीं रखा है,

इसलिए अपील स्वीकार योग्य और उसे स्वीकार किया जाकर मूल वाद डिक्री किया जावे।

7. वादी/अपीलार्थी द्वारा अपील ज्ञापन के साथ ही आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 के अंतर्गत आवेदनपत्र प्रस्तुत कर सूची दस्तावेज अनुसार प्रस्तुत बिजली का बिल, प्रशासक ग्राम पंचायत लुहारपुरा का सत्यापित मानचित्र एवं दो प्रमाणीकरण को दस्तावेज के रूप में अभिलेख पर ग्रहण किए जाने की प्रार्थना भी इस आधार पर की है, कि उक्त दस्तावेज पूर्व में गुम हो जाने के कारण पेश नहीं किए जा सके थे, जो अब काफी प्रयत्न करने पर प्राप्त हो गए हैं, जो काफी पुराने होने से जीर्णशीर्ण हालत में होने के कारण उन्हें लेमीनेशन कर पेश किया जा रहा है, इसलिए उन्हें ग्रहण किया जाए, जिसके समर्थन में वादी/अपीलार्थी ने स्वयं का शपथपत्र पेश किया है, जिसका प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जबाब में विरोध करते हुए यह लेख किया है, कि अपीलार्थी/वादी के पिता सरदार स्या के पिता का नाम चिरागअली था जो दस्तावेज पेश किया गया है, उसमें सरदार स्या पत्नी वसीरन स्य अंकित है, जबकि सामान्यतः किसी पुरुष की बल्दियत में उसके पिता का नाम आता है, पत्नी का नहीं आता है और वसीरन कौन है, अपीलार्थी/वादी से उसका क्या संबंध है, तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवादग्रस्त जगह से क्या संबंध है, यह स्पष्ट नहीं है, इसलिए प्रस्तुत दस्तावेजों को अभिलेख पर लिए जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, और कथित दस्तावेज अपीलार्थी को किस प्रकार खोजने से कब कहां कैसे मिले इसका उल्लेख नहीं है, न ही दस्तावेज कैसे गुम हुए इसका कोई उल्लेख है और पूर्व में खोज क्यों नहीं की यह भी नहीं बताया है, इसलिए आवेदनपत्र सद्भावना पूर्ण नहीं है, और उसे सव्यय निरस्त किया जाए।

8. अपील के निराकरण के लिये मुख्य रूप से निम्न प्रश्न विचारणीय है—

1. क्या आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 का आवेदनपत्र स्वीकार किए जाने योग्य है, यदि हां तो प्रभाव ?
2. क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल वाद क्रमांक— 21ए/2013 ई0दी0 में घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08/09/14, प्रकरण में आई साक्ष्य एवं विधि के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने योग्य है?
3. क्या वादी/अपीलार्थी का मूल वाद डिक्री किए जाने योग्य है?

—::— निष्कर्ष के आधार —::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 का विश्लेषण एवं निराकरण

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत मै0 ईस्टर्न इक्विप्मेन्ट्स सैल्स लिमिटेड विरुद्ध इंजीनियर यशकुमार ए0आई0आर0 2008 एस0सी0 पेज—2360 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आदेश 41 नियम 27

सीपीसी के आवेदन पत्र का अपील के साथ ही निराकरण किया जाना चाहिए। एवं न्याय दृष्टांत **जितेन्द्रसिंह विरुद्ध मेहरसिंह ए0आई0आर0 2009 एस0सी0 पेज-354** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के आवेदन पत्र को गुणदोषों पर निराकृत करने के लिये अपील न्यायालय कर्तव्यबद्ध होता है। इसलिये मूल अपील के साथ प्रकरण में विचाराधीन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का आवेदन पत्र का मूल अपील के साथ गुण-दोषों पर सुनवाई कर निराकरण किया जा रहा है।

10. वादी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त विचाराधीन आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 के संबंध में अपने तर्कों में यह बताया है, कि सूचीअनुसार जो दस्तावेज पेश किए हैं, वे प्रकरण की विषय वस्तु से संबंधित हैं और वादी/अपीलार्थी अशिक्षित हैं, दस्तावेज गुम हो गए थे, विचारण के दौरान प्राप्त नहीं हुए थे, इस कारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किए जा सके, जब अपील प्रस्तुत की गई, तब उन्हें ढूंढा गया काफी प्रयास करने के बाद वे प्राप्त हुए जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, इस कारण उन पर लेमीनेशन करके पेश किया है, प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण के लिए उक्त दस्तावेज को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाना न्यायोचित है, बिलंब के लिए हर्जा खर्चा लगाया जा सकता है, इसलिए आवेदन स्वीकार किया जाए, जिसके खण्डन में प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है, कि दस्तावेज फर्जी है, जीर्ण शीर्ण नहीं है, बल्कि बाद में तैयार करा लिया गया है, उनका विवादित सम्पत्ति से कोई सरोकार नहीं है, और जो प्रमाणीकरण पेश किए गए हैं, उनमें सरदार स्या की बल्दियत में पत्नी वसीरन स्य लिखा गया है, जबकि स्त्री प्रधान मस्लिम समाज नहीं है, इसलिए दस्तावेज अपने आप में ही संदिग्ध है, जो नक्शा सत्यापित पेश किया है, वह भी विवादग्रस्त सम्पत्ति से सरोकार नहीं रखता है, बिजली का बिल भी महत्वहीन है, तथा दस्तावेज इस बात से भी संदिग्ध है, कि स्वयं वादी/अपीलार्थी शमशाद स्या ने विचारण के दौरान अपने कथन में इस बात को स्वीकार किया था, कि उसके पास ग्राम पंचायत लुहारपुरा के सरपंच का स्वामित्व संबंधी कोई कागजात नहीं है, दस्तावेज कैसे गुम गया, कब कहां ढूंढा गया, कैसे कहां मिल गया, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, इसलिए आवेदनपत्र दुर्भवानापूर्ण है और उसे सब्यय निरस्त किया जावे।

11. आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के प्रावधान के तहत अपीलीय न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में कोई पक्षकार मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर सकता है, लेकिन उसमें जो शर्त है उसके मुताबिक ऐसे दस्तावेजों को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य में ग्राह्य करने से इंकार किया हो अथवा पक्षकार उसे सम्यक् तत्परतापूर्वक बरतने के बावजूद भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में पेश ना कर सका हो। तीसरा अपीलीय न्यायालय के द्वारा ऐसी कोई अपेक्षा की गयी हो और यदि आवेदनपत्र स्वीकार किया जाता है तो उसके कारणों को लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है।

12. आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के उपबंध के संबंध में माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **यशोदा देवी एवं अन्य विरुद्ध कन्हैयालाल**

2010 भाग-4 एम.पी.एल.जे. पेज-494 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अतिरिक्त साक्ष्य के लिए आवेदनपत्रों का निराकरण करते समय मूलतः यह देखा जाना चाहिये कि क्या अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने वाले दस्तावेजों को अभिलेख पर ग्राह्य किया जाकर न्याय संगत निराकरण किया जा सकता है। तभी उन्हें स्वीकार करने से यदि दस्तावेजों को ग्राह्य किए वगैर उचित न्याय निर्णयन किया जा सकता हो, तो ऐसे दस्तावेजों को ग्राह्य करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त न्याय दृष्टांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ यू.पी. विरुद्ध मनबोधनलाल श्रीवास्तव ए.आई.आर.-1957 एस.सी. पेज-912** को अनुसरित करते हुए दिया गया है।

13. आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के संबंध में नवीनतम न्याय दृष्टांत **मलयालम प्लान्टेशंस लिमिटेड विरुद्ध स्टेट ऑफ केरल ए0आई0आर0 2011 एस0सी0 पेज-559** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीन परिस्थितियाँ बतलाई गई हैं जिनके अनुसार उक्त प्रावधान के तहत अतिरिक्त साक्ष्य ग्रहण की जा सकती है:-

1. विचारण न्यायालय में उस साक्ष्य को लेने में अवैध रूप से इन्कार कर दिया गया है जिसे लेने की अनुमति दी जानी चाहिए थी, अथवा
2. वह साक्ष्य जो प्रस्तुत की जाना है वह सम्यक तत्परता का प्रयोग करने के बावजूद उस पक्षकार को उपलब्ध नहीं हो सका था। अथवा
3. अतिरिक्त साक्ष्य अपील न्यायालय के लिये मामले के निराकरण के लिये आवश्यक प्रकृति का है या समान प्रकार का कोई अन्य तात्त्विक कारण अर्थात् अतिरिक्त साक्ष्य किसी भी पक्षकार की कमी को पूरा करने के लिये नहीं ली जा सकती है।

14. प्रस्तुत अपीला ज्ञापन के साथ उक्त आवेदनपत्र के साथ जो दस्तावेज सूची मुताबिक पेश किए गए हैं, उनके संबंध में वादी/अपीलार्थी ने स्वयं का शपथपत्र अवश्य दिया है, किंतु आवेदनपत्र में इस बिन्दु पर स्पष्ट कारणों का अभाव है, कि जो दस्तावेज उसने अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में ग्रहण किए जाने का निवेदन कर पेश किए हैं, वे कैसे कब गुम गया, कहां कब प्राप्त हो गया, गुमने के संबंध में क्या उसने कोई कार्यवाही की, कहां मिला यही स्पष्ट नहीं है, जहां तक जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने से लेमीनेशन कराने की बात कही गई है, दस्तावेजों को देखने से वे सादा कागज पर हैं, और क्षतिग्रस्त अवस्था में कहीं फटे चटके नहीं हैं, जो बिजली का बिल अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में जून 2014 का ग्रहण करने की प्रार्थना की है, वह जमाशुदा बिल नहीं है, इसलिए उसकी उपयोगिता नहीं रह जाती है और बिल में मकान नंबर का उल्लेख नहीं है वझेरा मौ अवश्य लिखा है, विद्युत बिल स्वत्व व आधिपत्य का प्रमाण नहीं होता है, इसलिए उसे अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता है।

15. जहां तक प्रशासक ग्राम पंचायत लुहारपुरा का सत्यापित मानचित्र पेश किया है और उसमें प्रशासक के हस्ताक्षर नीचे दिनांक 24/07/2008 या 2080 अंग्रेजी में अंकित है, और फिर हिन्दी के अकों में वर्ष 1980 लिखा है, जिसमें कच्ची मढैया बनाकर काबिज होने के संबंध में वादी/अपीलार्थी का उल्लेख 40 गुण 45 में किया है, लेकिन उसकी चतुरसीमा स्पष्ट नहीं हैं, क्योंकि चारों ओर खुली जगह दर्शाई है, फिर रास्ता व अन्य लोगों की भूमियां अंकित की गई हैं, दिनांक 24/04/1980 का जो प्रमाणीकरण है, उसमें भी दिनांक हिन्दी, अंग्रेजी अकों में लिखी गई है, विवरण

में अंग्रेजी अंकों का लेख किया है, यदि एक ही व्यक्ति द्वारा उक्त दस्तावेजों को तैयार किया जाता तो फिर या तो वह हिन्दी अंकों का उपयोग करता या अंग्रेजी अंकों का उपयोग करता। दोनों प्रमाणपत्र में सारदार स्या पत्नी वसीरन स्या का उल्लेख किया गया है, जबकि बल्दियत में पिता का नाम आता है, इससे प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क कि दस्तावेज बाद में अपील को बल देने के आशय से बनाए गए है, उसे बल मिलता है, क्योंकि जहां एक ओर दस्तावेज गुमने और मिलने के संबंध में ठोस कारण नहीं बताया गया है, वहीं दूसरी ओर स्वयं वादी/अपीलार्थी शमशाद स्या व0सा0-01 के अपने अभिसाक्ष के पैरा-10 में इस बात को स्वीकार किया था, कि ग्राम पंचायत लुहार पुरा के सरपंच का कोई भी स्वामित्व संबंधी कागज उसके पास नहीं है।

- 16.** वादी/अपीलार्थी ने स्वामित्व से संबंधित कोई कागज प्रकरण में पेश भी नहीं किया है, ऐसी स्थिति में विचारण के दौरान कागज गुम जाने और अपील स्तर पर कागज मिल जाने का जो कारण बताया गया है, वह कतई सद्भावी प्रतीत नहीं होता है, प्रमाणीकरण किस प्रशासक द्वारा दिया गया, यह भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि प्रमाणीकरण, देने वाले अधिकारी से ही सिद्ध हो सकता है, ऐसी स्थिति में जो तथ्य परिस्थितियां अभिलेख पर विद्यमान है और जो स्वीकृत तथ्य है, उन्हें देखते हुए उक्त आवेदनपत्र के माध्यम से प्रस्तुत सूची मुताबिक दस्तावेजों को वादी/अपीलार्थी ने विचारण में प्रस्तुत न कर पाने का जो कारण प्रकट किया है, वह कतई सद्भावी नहीं है और दस्तावेजों के विवरण को देखते हुए, वे विधिपूर्ण एवं न्यायपूर्ण निराकरण के लिए आवश्यक होना भी प्रतीत नहीं होते हैं, तथा उससे प्रकरण के गुणदोष प्रभावित होते हो ऐसा भी दर्शित नहीं होता है, तथा उक्त दस्तावेजों को विचार में अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में लिए बिना भी विचाराधीन अपील का गुणदोषों पर विधिसम्मत निराकरण किया जाना संभव पाया जाता है, फलतः वादी/अपीलार्थी का आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत उक्त आवेदनपत्र बाद विचार सारहीन मानते हुए निरस्त किया जाता है और यह निष्कर्षित किया जाता है, कि प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रकरण के लिए कोई उपयोगिता नहीं है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02 एवं 03 का विश्लेषण एवं निराकरण

- 17.** उपरोक्त दोनों विचारणीय प्रश्न एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने और सुविधा की दृष्टि से उनका एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है।
- 18.** जहां तक मूल प्रथम सिविल अपील का प्रश्न है, उसके संबंध में वादी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील ज्ञापन में लिए गए आधारों और उठाए गए बिन्दुओं के अनुरूप तर्क करते हुए व्यक्त किया है, कि वझेरा लोहरपुरा का ही भाग है, लुहारपुरा सन् 1980 तक ग्राम पंचायत थी, जो वर्तमान में नगर पंचायत मौ के अंतर्गत आ गया है, जिसका वार्ड नंबर 08 है, विवादित मकान वादी/अपीलार्थी की पुश्तैनी सम्पत्ति है, जिसमें पहले कच्चा मकान था, बाद में पक्का कमरा उसके द्वारा बनवाया गया था और टीनशेड पड़ी है, वह उक्त मकानियत में जन्म से निवास करता चला आ रहा है और उसके पास अन्य कोई मकान नहीं है, तथा वह विवादित

मकानियत का हर प्रकार का आधिपत्य व उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है, उसका घरेलू उपयोग का बिजली का मीटर भी लगा है, राशनकार्ड भी बना है, स्थाई निवासी का प्रमाणपत्र भी बना है, तथा विवादित मकानियत से प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है और प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण उसकी मकानियत को ताजिया कमेटी का बाताते हुए बलपूर्वक उसे बेदखल करना चाहते हैं, जिसके लिए ही दिनांक 10/06/14 को उसके मकान पर आकर मकान खाली करने को कहा अन्यथा सामान फेंक कर बेदखल करने की धमकी दी, जिसके कारण स्थाई निषेधाज्ञा का दावा करना पड़ा, किंतु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकृत कब्जे को नजरअंदाज करते हुए, प्रस्तुत किए गए दस्तावेज और मौखिक साक्षी को स्वीकार नहीं किया और विधि विरुद्ध निष्कर्ष निकालते हुए, दावा खारिज कर दिया है, जबकि वह डिक्री योग्य था, इसलिए अपील स्वीकार की जाकर मूल वाद डिक्री किया जाए और प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की जावे कि उसे आवैधानिक तरीके से बल पूर्वक उसके स्वामित्व आधिपत्य की मकानियत से बेदखल नहीं किया जाए क्योंकि अवैध तरीके से बेदखल करने का किसी को अधिकार नहीं है।

19. प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में वादी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का विरोध करते हुए, यह व्यक्त किया है, कि विवादित सम्पत्ति ताजिया कमेटी की है, ताजिया कमेटी के द्वारा ही बाउण्ड्रीवाल और पक्के कमरे एवं टीनशेड का निर्माण कराया गया है, उक्त सम्पत्ति के संबंध में अन्य लोगों से पूर्व में भी विवाद चला था, जिसमें उक्त मकानियत ताजिया कमेटी का मानी गई है, उसका प्र0डी0-03 व 04 के कथन पेश किए गए हैं, तथा विवादित मकानियत से वादी/अपीलार्थी का कोई संबंध न होने के संबंध में सी0एम0ओ0 नगर पंचायत मौ के द्वारा प्रमाणीकरण प्र0डी0-02 भी बताया गया है और वादी/अपीलार्थी गलत तरीके से विवादित सम्पत्ति को अपना बता रहा है, जबकि वादी/अपीलार्थी शमशाद स्या उसके भाई सत्तार और मां वसीरन अपनी सम्पत्ति दूसरे भाई अटल अली को बिक्रय कर चुका है, जो प्र0डी0-01 से स्पष्ट है और वादी/अपीलार्थी ने स्वयं भी साक्ष्य में स्वीकार किया है, कि ताजिया कमेटी फकीर नियुक्त कर उक्त सम्पत्ति में रखती है, जो ताजिया का व्यवस्था करता है, वझेरा ताजिया रखने वाली जगह को कहते हैं, जिसे वादी ने भी स्वीकार किया है, वझेरा कोई मौहल्ला नहीं है, तथा वादी/अपीलार्थी की मौखिक साक्ष्य और अभिवचन में भी विरोधाभास है, साक्ष्य के दौरान जो दस्तावेज पेश किए हैं, उन्हें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से मूल्यांकित किया है और विधि सम्मत निष्कर्ष निकालते हुए, मूल वाद खारिज किया है, क्योंकि प्रमाण भार वादी/अपीलार्थी पर था, जिसे उसने प्रमाणित नहीं किया है और न ही स्वामित्व का कोई प्रमाण ही पेश किया है, इसलिए अपील बेबुनियाद होने से सव्यय निरस्त की जाए।

20. प्रकरण में उभय पक्षों द्वारा मौखिक और दस्तावेजी दोनों प्रकार की साक्ष्य पेश की गई है, ऐसे में संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना विधिक अपेक्षा में शामिल है, तथा विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है, कि जहां दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य पेश की जाती है, वहां अभिलेख पर आई संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, इस संबंध में न्याय दृष्टांत **ग्याराम विरुद्ध सीताबाई**

1994 भाग-01 एम0पी0जे0आर0 पेज-148 में दिया मार्गदर्शन अवलोकनीय है, विचाराधीन मामले में भी इस न्यायालय की हैसियत प्रथम अपीलीय न्यायालय की है, इसलिए प्रथम अपीलीय न्यायालय को निष्कर्ष निकालने के लिए साक्ष्य का मूल्यांकन करना होता है। इसलिए विचाराधीन प्रथम सिविल अपील में उक्त सिद्धांत का पालन करना होगा और संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा।

21. अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय का अध्ययन करने पर यह विदित है, कि वादी/अपीलार्थी के ओर से मूल वाद स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति बाबत वादग्रस्त मकानियत को अपनी निजी सम्पत्ति बताते हुए प्रस्तुत किया गया था, जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री योग्य न पाते हुए मूल वाद खारिज किया, वादी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने सर्वाधिक बल प्रतिवादी/प्रत्यर्थी की ओर से परीक्षित कराए गए साक्षी यूसुफ राइन प्र0सा0-01 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य के अंतिम पैरा-08 के अंतिम अंश में की गई स्वीकारोक्ति के आधार पर वाद डिक्री योग्य इस आधार पर बताया है, कि वादी/अपीलार्थी का आधिपत्य स्वीकार किया गया है और किसी भी व्यक्ति को अवैध तरीके से बेदखल नहीं किया जा सकता है, तथा प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण की ओर से कब्जा वापिसी के लिए न तो कोई प्रतिदावा किया है, न प्रथक से कोई दावा किया है, इसलिए वाद डिक्री योग्य है, प्र0सा0-01 के उक्त अभिसाक्ष्य के भाग का अध्ययन करने पर उसके द्वारा वादी/अपीलार्थी शमशाद स्या का विवादित जगह पर दो चार साल से कब्जा बल पूर्वक कर लिए जाने की बात कही है, किंतु प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण की ओर से प्रथक से कोई बेदखली की कार्यवाही न किए जाने या प्रतिदावा न किए जाने के आधार पर वादी/अपीलार्थी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति प्रदत्त नहीं की जा सकती है, क्योंकि सिविल प्रथा मुताबिक प्रमाण भार वादी पर होता है, कि वह अपने वाद को स्वयं की सामर्थ से प्रमाणित करे, जहां तक स्वीकारोक्ति का प्रश्न है, स्वीकारोक्ति बल पूर्वक आधिपत्य को लेकर है, और स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति प्रदान करते समय न्यायालय को न केवल आधिपत्य देखना होता है, बल्कि वैधानिक आधिपत्य होना आवश्यक है, क्योंकि यदि कब्जा संबंधी निराकरण करते समय केवल कब्जे को देखा जाए तो उससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और चालाक मुकद्मेबाज वास्तविक स्वामी को कब्जा विहीन कर सकता है, इसलिए न केवल कब्जा देखने की आवश्यकता है, बल्कि विधिपूर्ण आधिपत्य होना चाहिए, जैसा कि न्याय दृ0 **कमलसिंह विरुद्ध जयरामसिंह 1987 मा0नि0षा0 पेज 47 (एम0पी0)** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है, इसलिए वाद प्रस्तुति के समय क्या वादी/अपीलार्थी का कोई आधिपत्य है और यदि है, तो क्या वह वैधानिक आधिपत्य है, यह जब तक स्पष्ट न हो तब तक वादी/अपीलार्थी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का पात्र नहीं हो सकता है।

22. प्रकरण में उभयपक्ष की ओर से मौखिक और दस्तावेजी दोनों प्रकार की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की है, इसलिए संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त करना होगा, कि क्या विवादित मकान ताजिया कमेटी वझेरा (ताजिया रखने का स्थान) होकर उनके द्वारा निर्मित है, अथवा वादी/अपीलार्थी को उसके पूर्वज सरदार स्या से उत्तराधिकार में प्राप्त होकर पैत्रिक सम्पत्ति की परिधि का है।

23. प्रकरण में वादी/अपीलार्थी की ओर से स्वयं वादी/अपीलार्थी शमशाद स्या वा0सा0-01 का अभिसाक्ष्य कराया गया है, अन्य साक्षी राजेन्द्र सिंह और राकेश यादव के मुख्य परीक्षण के शपथपत्र पेश किए गए थे, किंतु उन्हें प्रतिपरीक्षा के लिए न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसे में उनका मुख्यपरीक्षण का अभिसाक्ष्य ग्राह्य योग्य नहीं है और उनके संबंध में इस आशय की प्रतिकूल उपधारणा निर्मित होती है, कि वे वादी/अपीलार्थी का समर्थन नहीं करना चाहते हैं, इसी कारण साक्ष्य में प्रतिपरीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं, इस संबंध में न्याय दृ० गोपालदास रेनवाल विरुद्ध दीपिका जैन 2009 भाग-02 एम0पी0डब्लू0एन0 शॉर्टनोट-08 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है।

24. जहां तक मौखिक साक्ष्य का प्रश्न है, वादी/अपीलार्थी शमशाद स्या वा0सा0-01 ने अपने रिहायशी पुश्तैनी मकान वझेरा मौहल्ला लुहारपुरा मौ में बताया है, जो वर्तमान में वार्ड नंबर 08 नगरपालिका पंचायत मौ में है, उसकी जो चतुरसीमाएं बताई हैं, उसमें पूर्व दिशा में आरसीसी रोड उसके बाद रामाबाई का मकान पश्चिम दिशा में वादग्रस्त मकान का पिछवाड़ा तथा ताजिया रखने की जगह उसके बाद बघेल जाति के मकान उत्तर दिशा में ताजिया रखने की खाली जगह और दक्षिण दिशा में रास्ते के बाद बच्ची यादव का मकान बताया है, प्रतिवादी/प्रत्यर्थीगण की ओर से यूसुफ राइन प्र0सा0-01 का जो अभिसाक्ष्य कराया गया है उसमें विवादित सम्पत्ति मुस्लिम ताजिया कमेटी की बताते हुए कच्ची मटैया और चबूतरा की जगह पर पक्का कमरा टीनशेड का निर्माण ताजिया रखने की संपूर्ण भूमि का पक्की बाउण्ड्री कराना बताया है और फकीर को कमेटी द्वारा समय समय पर नियुक्त करना कहा है, दोनों एक ही सम्पत्ति पर अपना अपना दावा कर रहे हैं, चूंकि प्रमाण भार वादी पर है, इसलिए यदि प्रतिवादी की साक्ष्य को विश्लेषण में न भी लिया जाए तब भी वादी पर अपने वाद आधारों को प्रमाणित करने का भार है, कि वह विवादित सम्पत्ति को अपनी पैत्रिक सम्पत्ति स्थापित और प्रमाणित करे, तभी उसे वांछित आज्ञाप्ति प्रदत्त की जा सकती है।

25. शमशाद स्या वा0सा0-01 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य की कण्डिका 02 में वादग्रस्त मकान पूर्व में पूर्ण रूप से कच्चा होना बताते हुए उसके दावा करने के करीब 20 वर्ष पूर्व पीछे की तरफ एक पक्का कमरा निर्मित करना उसके बाद छप्पर फिर आंगन व टीनशेड बताया है, आम रास्ते की तरफ चबूतरा बताया है और जन्म से उसमें निवासरत बताते हुए यह भी कहा है, कि उसके माता पिता और पूरा परिवार उसी मकान में निवास करते रहे हैं क्योंकि अन्य कोई मकान उनके पास है, ही नहीं, कण्डिका 03 में पिता से उक्त सम्पत्ति प्राप्त होना बताते हुए, उसमें अपने नाम का विद्युत मीटर लगवाना और पिता सरदार स्या की मृत्यु के बाद नामांतरण की कार्यवाही करना गरीबी रेखा का राशनकार्ड भी उसी सम्पत्ति के पते से बनवाना उसने बताते हुए कण्डिका 05 में ताजियों की जगह होने से इन्कार कर अपना एकाकी स्वामित्व और आधिपत्य बताया है, किंतु कोई भी अभिसाक्ष्य मुख्यपरीक्षण प्रतिपरीक्षण और पुनः परीक्षण को शम्लित कर पूर्ण होता है, इसलिए मुख्यपरीक्षण के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

26. वा0सा0-01 के प्रतिपरीक्षण में आए तथ्यों को देखा जाए तो

कण्डिका-07 में उसने अपने ही मुख्यपरीक्षण का खण्डन करते हुए यह कहा है, कि विवादित मकान पर उसने कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया है, पुरखों ने कराया था, जबकि मुख्यपरीक्षण में और अभिवचनों में वह स्वयं 20 वर्ष पहले पक्के कमरे का निर्माण करना कहकर आया है, उसे यह भी जानकारी नहीं है, कि नगरपंचायत में विवादित मकान उसके नाम सम्पत्ति की पंजी में दर्ज है, या नहीं उसे मकान का क्रमांक भी पता नहीं है, वह स्वयं निर्माण कार्य करने से इन्कार कर पिता द्वारा निर्माण बताता है और यह भी कहता है, कि पिता के वार्ड नंबर 08 में दो मकान थे, यह भी स्वीकार किया है, कि उसके पिता के एक पुश्तैनी मकान में वर्तमान में अटल अली निवास कर रहा है, अटल अली द्वारा कय की गई सम्पत्ति का पंजीकृत बिक्रयपत्र प्र0डी0-01 से जब उसका सामना कराया गया तो उसने प्र0डी0-01 पर अपना, अपनी मां और भाई का छायाचित्र चशपा होना स्वीकार किया है, सबरजिस्ट्रार कार्यालय में जाना वहां पर अंगूठा निशानी करना पैसा प्राप्त होना भी स्वीकार किया है, लेकिन वह मां के पास बताते हुए यह कहा है, कि मां उसके साथ ही निवास करती है, और उसका भाई जो हिस्सा ले गया है, उसके बारे में उसकी मां को ही पता है।

27. वा0सा0-01 ने मुख्यपरीक्षण में या वादपत्र के अभिवचनों में पिता के दो मकान वार्ड नंबर 08 में होने को अभिवचनित नहीं किया है, केवल प्रतिपरीक्षण में यह तथ्य प्रकट किया है, जिसका कोई आधार नहीं है और पैरा-08 में उसकी यह भी स्वीकारोक्ति आई है, कि पिता के स्वामित्व का मकान उसने बहुत पहले ही छोड़ दिया था प्र0डी0-01 का बिक्रयपत्र बाद में किया था, विवादित मकान उसके पिता के नाम दर्ज है या नहीं इसकी भी उसे जानकारी नहीं है, वह नगर पालिका कोई टेक्स अदा नहीं करता है, यह भी स्वीकार किया है, कि ताजिया कमेटी की जगह की बाउण्ड्री कमेटी द्वारा कराई गई है, लेकिन वह अपना मकान अलग बताता है और यह कहता है, कि बाउण्ड्री उसके दरवाजे पर करवाई थी, पिता द्वारा पुश्तैनी मकान 40-50 साल पहले बनवाया था और उसके पिता दो मकानों में रहे हैं उसके पिता के नाम कभी भी बिजली का मीटर नहीं लगा है, पुराने मकान में लाइट थी, या नहीं यह भी उसे पता नहीं है, उसे यह भी जानकारी नहीं है, कि विद्युत मीटर के लिए स्वामित्व संबंधी दस्तावेज लगते हैं, या नहीं उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज बिजली केनक्शन की रशीद प्र0पी0-01, स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र प्र0पी0-02 में मकान का कोई फोटो या मकान का क्रमांक नहीं लगा होना उसने स्वीकार किया है, लेकिन वह वझेरा अंकित होना बताते हुए बझेरा बाद में बढ़ाया गया हो इसकी भी उसे जानकारी नहीं है, इस बात को स्वीकार करता है, कि वादग्रस्त जगह एवं ताजिया वाली जगह को वझेरा कहते हैं, पैरा-09 में यह भी स्वीकार किया है, कि उसके बिजली के बिल में वार्ड नंबर भी अंकित नहीं है।

28. इस प्रकार से वादी/अपीलार्थी के द्वारा जो प्र0पी0-01 और 02 के दस्तावेज विवादित मकानियत पर अपने स्वामित्व और आधिपत्य को दर्शित करने के उद्देश्य से पेश किए हैं, उसमें मकान नंबर और वार्ड नंबर का उल्लेख नहीं है, वझेरा मात्र अंकित है, जिससे वादी/अपीलार्थी के पक्ष में कोई उपधारणा निर्मित नहीं हो सकती है, वादी/अपीलार्थी स्वयं को गरीबी रेखा के निचे होने के कारण गरीबी रेखा का राशनकार्ड विवादित मकान के पते से बनवाना बताता है, लेकिन यदि पक्का

मकान है, तो फिर गरीबी रेखा से नीचे वह कैसे आया, जबकि वह पिता के दो-दो मकान बता रहा है।

29. वा0सा0-01 ने कण्डिका 09 में यह भी स्वीकार किया है, कि वझेरा की जमीन में कच्ची मढ़ैया थी बाद में पक्की हुई, उसी में ताजिया कमेटी ताजिया कमेटी की ओर से फकीर निवास करता था, उसने स्वयं को भी फकीर बताया है, लेकिन वह ताजिया कमेटी की ओर से कभी भी नियुक्त नहीं हुआ, न उसके पिता नियुक्त हुआ उसे इस बात की जानकारी नहीं है, कि ताजिया कमेटी की वझेरा की जगह पर पूर्व में भी लोगों ने अतिक्रमण करने की कोशिश की थी और उसके भी प्रकरण चले थे, विवादित जगह को वह अपनी पुश्तैनी बताता है, लेकिन उसे यह भी जानकारी नहीं है, कि विवादित मकान कितना लंबा चौड़ा है, वह पिता द्वारा बनवाए गए पक्के कमरे में ही अपना जन्म बताता है।

30. वा0सा0-01 ने कण्डिका 10 में यह भी स्वीकार किया है, कि उसने अपने वार्ड मेम्बर को नमांतरण के लिए कोई आवेदन नहीं दिया, स्वामित्व के संबंध में सरपंच का कोई दस्तावेज भी उसके पास नहीं है, न उसने प्रकरण में पेश किया। इस बात से वह अवश्य इन्कार करता है, कि उसके पिता के नाम का जो मकान था, उसका क्रमांक 218 था और वह अलग है, विवादित जगह ताजिया कमेटी की है।

31. इस तरह से वा0सा0-01 के अभिसाक्ष्य को ही यदि विचार में लिया जाए तो उसके अभिवचनों और साक्ष्य में विरोधाभास है और जिस बिन्दु पर अभिवचन है, उस पर साक्ष्य नहीं है और साक्ष्य में जो तथ्य बताए हैं, वह बगैर अभिवचनों के हैं, यह सुस्थापित विधि है, कि वगैर अभिवचनों के प्रस्तुत की गई साक्ष्य ग्राह्य योग्य नहीं होती है, जैसा कि न्याय दृ० सी०व्ही० रामचन्द्रन विरुद्ध व्ही०एस० नारायण 1963 एम०पी०एल०जे० शॉर्टनोट 217 में प्रतिपादित है और न्याय दृ० गणेश विरुद्ध श्रीनाथ 1986 भाग-02 एम०पी०डब्लू०एन० शॉर्टनोट 193 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है, कि जहां अभिवचनों और साक्ष्य में विरोधाभास है तो ऐसे साक्षी पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, जो कि विचाराधीन मामले में वादी/अपीलार्थी शमशाद स्या वा0सा0-01 के प्रस्तुत अभिवचन और साक्ष्य को देखते हुए प्रकरण में प्रयोज्य किए जाने योग्य है और उसे वास्तविक तथ्यों की जानकारी का अभाव है, कुछ तथ्य वह मां के ज्ञान में बताता है, लेकिन उन्हें प्रमाणित करने के लिए उसकी ओर से और कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है, ऐसे में वा0सा0-01 की अभिसाक्ष्य कतई विश्वसनीय नहीं है और उससे आवेदनपत्र के मूल अभिवचन और आधार स्थापित नहीं होते हैं, जबकि वादी/अपीलार्थी पर ही यह प्रमाणित करने का भार था, कि वह विवादित सम्पत्ति को अपने स्वामित्व व आधिपत्य की पुश्तैनी सम्पत्ति प्रमाणित करता, जिसमें वह सर्वथा असफल है।

32. प्र०डी०-01 के बिक्रयपत्र से यह स्पष्ट होता है, कि वादी/अपीलार्थी, उसके भाई सत्तार खां और मां वसीरन के द्वारा अन्य भाई अटल अली को मकान नंबर 218 वार्ड-08 नगरपंचायत मौ की सम्पत्ति का बिक्रय किया गया था जिसकी वा0सा0-01 स्वयं भी स्वीकारोक्ति करता है, जिससे वाद आधार समाप्त हो जाते हैं, हालांकि प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण की ओर से नगर पंचायत मौ के

सी०एम०ओ० द्वारा दिया गया प्रमाणीकरण भी प्र०डी०-02 के रूप में प्रस्तुत किया गया है, कि विवादित सम्पत्ति ताजिया की भूमि और भवन है जो नगर पंचायत मौ के अभिलेख में भी दर्ज है और उससे वादी/अपीलार्थी का कोई संबंध नहीं है, उक्त सम्पत्ति ताजिया कमेटी की होने के संबंध में प्र०डी०-03 जो कि व्यवहार न्यायालय के प्रकरण में निष्कर्षित किया गया था और तहसीलदार गोहद के समक्ष अतिक्रमण हटाने के संबंध में धारा-248 एम०पी०एल०आर०सी० 1959 के तहत कार्यवाही चली थी, उससे भी प्र०सा०-01 यूसुफ राइन का अभिसाक्ष्य समर्थित होता है, जिसके संबंध में वादी/अपीलार्थी का कोई स्पष्ट प्रत्याख्यान नहीं है, बल्कि अनभिज्ञता प्रकट की है, ऐसे में प्र०सा०-01 के अभिसाक्ष्य की अंतिम कण्डिका में अतिक्रमक के रूप में कब्जे की स्वीकारोक्ति के आधार पर वादी को स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञा प्रदान न कर मूल वाद खारिज करने में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अवैधानिकता या तथ्यात्मक भूल या त्रुटि नहीं की गई है और यह उचित रूप से निष्कर्षित किया है, कि स्थाई निषेधाज्ञा न केवल आधिपत्य के आधार पर दी जानी चाहिए, बल्कि आधिपत्य विधिपूर्ण होना आवश्यक है, जबकि वादी/अपीलार्थी जहां एक ओर आधिपत्य भी सुनिश्चित नहीं है, वहीं दूसरी ओर विधिपूर्ण आधिपत्य तो किसी भी प्रकार से दर्शित नहीं होता है और वादी/अपीलार्थी ने जिस प्रकार का अभिसाक्ष्य दिया है, उससे उसका न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से सहायता के लिए आना भी परिलक्षित नहीं होता है, ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय विधिपूर्ण पाया जाता है।

33. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादप्रश्न क्रमांक 04 को प्रतिदावे के अभाव में विलोपित करके भी कोई त्रुटि नहीं की है, इसलिए प्रस्तुत की गई प्रथम सिविल अपील में कोई विधिक बल होना नहीं पाया जाता है न ही विवादित सम्पत्ति वादी/अपीलार्थी की पुश्तैनी या पैत्रक सम्पत्ति प्रमाणित है, फलतः वादी/अपीलार्थी शमशाद स्या की ओर से प्रस्तुत की गई प्रथम सिविल अपील अंतर्गत धारा-96 सी०पी०सी० 1908 को बाद विचार सारहीन मानते हुए आलोच्य निर्णय व डिक्री की पुष्टि करते हुए सव्यय निरस्त की जाती है।

34. प्रकरण की परिस्थितियों और प्रकृति को देखते हुए अपीलार्थी/वादी अपने प्रकरण व्यय के साथ साथ प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण का प्रकरण व्यय भी वहन करेगा, जिसमें अभिभाषक शुल्क प्रमाणित किए जाने पर या तालिका मुताबिक जो भी कम जो वह जोड़ी जावे।

तदनुसार अपील खारिजी की डिक्री तैयार की जावे।

दिनांक: 14 / 02 / 2017

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

(पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

(पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)